

प्रतिग्रहण और वचनबन्ध

(10/-रू0 नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाए और नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित कराएं)

यतः मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री/श्रीमती ..... निवासी ..... ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को आवेदन किया था इस आवेदन के परिणामस्वरूप मुझे केन्द्रीय विहार (जिसे बाद में फ्लैट/आवासीय ईकाई कहा गया है) में स्थित ब्लॉक संख्या..... में तल एवं स्टिल्ट संख्या..... पर फ्लैट संख्या..... टाइप “.....” आबंटित किया गया है।

2. मैं एतदद्वारा आबंटन की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार फ्लैट /पार्किंग स्थान के आबंटन की प्रतिग्रहणता व्यक्त करता/ती हूं और निम्नानुसार वचन देता/ती हूं:

(क) के.स.क.क.आ.सं. के नियमों की विवरणिका में घोषित तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों एवं विनियमों और निबंधन एवं शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करता/ती हूं और इस विषय पर के.स.क.क.आ.सं. आबंटन -पत्र में दी गई निबंधन एवं शर्तों का पालन करूंगा/गी।

(ख) मैं के.स.क.क.आ.सं. द्वारा जारी आबंटन पत्र में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का पालन करूंगा/गी।

(ग) मैं घोषणा करता/ती हूं कि के.स.क.क.आ.सं. के आबंटन नियमों के अनुसार के.स.क.क.आ.सं. द्वारा समर्थित ..... केन्द्रीय विहार में मेरे पंजीकरण के पश्चात मेरी संपत्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मेरा/मेरे पति/मेरी पत्नी का ..... में कोई रिहायषी प्लॉट अथवा आवास नहीं है।

(घ) मैं के.स.क.क.आ.सं. और स्थानीय नगर पालिका/नागरिक प्राधिकरण से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इस फ्लैट में कोई परिवर्तन और/अथवा परिवर्तन नहीं करूंगा/गी। इस किसी आवासीय ईकाई के साथ इस फ्लैट को सम्मिलित नहीं करूंगा/गी और इसका उप विभाजन नहीं करूंगा/गी।

(ङ.) मैं रिहायषी से इतर किसी अन्य प्रयोजनार्थ इस फ्लैट का उपयोग नहीं करूंगा/गी/मैं इस फ्लैट में किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दूंगा/गी।

(च) मैं अन्य आबंटितियों के साथ सीढ़ियों, रास्ते, चबूतरे, सड़कों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों/सुविधाओं का उपयोग और रख-रखाव करूंगा/गी तथा मैं पूरी तरह से समझता/ती हूं कि उनके उपयोग में मेरा कोई विशेषाधिकार नहीं है। मैं अन्य आबंटितियों और उपयोगकर्ताओं को असुविधा पहुंचाएं बिना इनका उपयोग करूंगा/गी।

(छ) मैं इस परिसर के प्रबंधन, प्रशासन, और रख-रखाव के लिए सभी आबंटितियों द्वारा गठित 'अपार्टमेंट स्वामी संघ' का सदस्य बनूंगा/गी तथा संघ की सभी उप-विधियों का पालन करूंगा/गी।

(ज) मैं सीढ़ियों, फ्लैट और आस-पास के सार्वजनिक क्षेत्रों और जल एवं सीवरेज शोधन संयंत्र के रख-रखाव और मरम्मत के लिए संबंधित संघ द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अपने अंशदान का भुगतान करूंगा/गी।

(झ) मैं जानता/ती हूं कि इस रिहायषी योजना में मुझे आबंटित नहीं की गई भूमि का हिस्सा या तो किसी अन्य को आबंटित किया गया या सार्वजनिक उपयोग और सुविधाओं के लिए आरक्षित रखा गया

है। पंजीकृत अपार्टमेंट स्वामित्व संघ इसका प्रबंधन कार्य करेगा। मैं इस संघ का एक हिस्सा हूँ। मैं भूमि क्षेत्र, आबंटित क्षेत्र और सेवाओं के सार्वजनिक भाग पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण करूंगा/गी। सभी अनधिकृत अतिक्रमण बिना सूचना के मेरे खर्च से हटाए जाएंगे।

(अ) मैं फ्लैट, सार्वजनिक क्षेत्रों और सुविधाओं के संबंध में नगर निगम/संबंधित नागरिक प्राधिकरणों और संघ द्वारा निर्धारित सभी कानूनों का पालन करूंगा/गी।

(ट) मैं के.स.क.क.आ.सं. द्वारा उनके दस्तावेजों में दर्शाई गई मेरी लेखा स्थिति एवं आवासीय ईकाई की लागत से संतुष्ट हूँ।

(ठ) मैं 'अपार्टमेंट स्वामी संघ' अथवा संबंधित प्राधिकरणों को जैसा भी मामलों हो, फ्लैट के लिए जब भी देय हो तब नगर पालिका और अन्य करों के भुगतान के लिए सहमत हूँ।

(ड) मैं जानता/ती हूँ कि आवासीय ईकाई की वर्तमान में वसूली गई लागत अंतिम है और ठेकेदार (रों) एवं अन्य एजेंसियों के सभी भुगतान के पश्चात अंतिम लागत निर्धारित की जाएगी। आगे, मैं आवासीय ईकाई की अंतिम लागत निर्धारण के पश्चात के.स.क.क.आ.सं. को अतिरिक्त लागत के भुगतान/के.स.क.क.आ.सं. से धन वापसी की प्राप्ति के बारे में जानता/ती हूँ।

(3) के.स.क.क.आ.सं./अपार्टमेंट स्वामी संघ केन्द्रीय विहार .....को यह अधिकार होगा कि यदि मैं उक्त वचनबंध को पूरा करने में असफल रहता हूँ तो वह मेरा आबंटन रद्द कर सकता और फ्लैट का पुनः कब्जा ले सकता है।

मेरे ..... द्वारा दिनांक ..... 2001 को हस्ताक्षर किए गए।

**आबंटित के हस्ताक्षर**

नाम.....

पंजीकरण संख्या.....

पत्राचार का पता.....

.....

.....

**की उपस्थिति में**

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

2. हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....